राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency

शशि भूषण कुमार, भा0प्र0से0
कार्यपालक निदेशक –सह–
अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग

पत्रांकः SHSB/GA/2050/2016/.5240.,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी –सह–अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार
सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

पटना, दिनांकः 14.11.16

विषयः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देविका विश्वास v/s यूनियन ऑफ इंडिया के मध्य दायर याचिका 95/2012 के सुनवाई में दिये गये विशेष निदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः सी0 के0 मिश्रा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 11017/C/1/2012-FP(Pt.) दिनांक 4 अक्टूबर 2016

महाशय/महाशया,

जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य की प्रतिपूर्ति हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से कुल प्रजनन दर एवं अपूरित मांग को कम करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश में लाभार्थियों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण नियमित परिवार कल्याण सेवा प्रदान करना राष्ट्रीय अभियान का एक अंग है। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा समय–समय पर आवश्यक आदेश निर्गत किए गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देविका विश्वास v/s यूनियन ऑफ इंडिया के मध्य दायर याचिका 95/2012 के सुनवाई में दिनांक 14.09.2016 को विशेष निदेश दिये गये हैं, जिसका अनुपालन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दृढ़तापूर्वक किया जाना है ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधायें प्रदान किया जा सके एवं अधिकतम लाभार्थियों द्वारा परिवार नियोजन सुविधाओं को स्वैच्छापूर्वक अपनाया जा सके।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जिलों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाना है, जिनकी विवरणी निम्नवत् है। समय सारणी के साथ विस्तृत विवरणी Annexure–2 के रूप में संलग्न है।

1. महिला एवं पुरूष नसबंदी सेवाएँ हेतु सेवा प्रदातओं को Empanelled करना, कम–से–कम प्रत्येक त्रैमास Empannelled list का नवीनीकरण करना तथा जिला गुणवत्ता यकीन कमिटि (DQAC) एवं District Family Planning Indemnity Sub-committee (DISC) के सदस्यों की सूची को अद्यतन करते हुए परिवार कल्याण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को ससमय भेजना ताकि वेब पोर्टल पर उसे अपडेट किया जा सके (Annexure 2.1 & 2.3)।
2. Empannelled List में शामिल सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए कार्यों का अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन परिवार कल्याण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को ससमय भेजा जाना है (Annexure 2.2)।
3. जिलों द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि हर एक संस्थान जहाँ बंध्याकरण/नसबंदी ऑपरेशन होता है, वहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रेषित हिन्दी भाषा में रूपांतरित सहमति प्रपत्र, Medical record & check list, ऑपरेशन पश्चात् निर्देश कार्ड एवं बंध्याकरण/नसबंदी प्रमाण–पत्र उपलब्ध रहे एवं उनका समुचित प्रयोग हो।
4. प्रत्येक त्रैमास के समाप्त होने पर Quarterly Progress Report (QPR) संलग्न संबंधित प्रपत्र में ससमय परिवार कल्याण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को भेजा जाए।

5. DQAC/DISC आयोजित बैठक, जाँच, सुधारात्मक निर्णय एवं उपलब्धियों का अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन परिवार कल्याण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे (Annexure 2.4)। साथ ही Death Audit की जानकारी भी नियमित रूप से भेजना जरूरी है। इसके अलावा परिवार कल्याण क्षतिपूर्ति योजना के तहत किए गए दावे, दावे के विरूद्ध भुगतान, लंबित दावे, अस्वीकृत दावे, अस्वीकृति का करण तथा क्षतिपूर्ति भुगतान की विस्तृत विवरणी भी वार्षिक प्रतिवेदन में भेजना है (Annexure 2.5)।
6. यह सुनिश्चित किया जाना है कि परिवार नियोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से सेवा प्रदाता, स्वास्थ्य कर्मी एवं उत्प्रेरक को लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाये। स्वास्थ्य संस्थानों को परिवार कल्याण संबंधित राशि विरमित करने हेतु एक Approximate गणना की जा सकती है।
7. परिवार कल्याण सेवा संबंधित Manuals एवं Guidelines (Standards & Quality Assurance in Sterilization Services, Family Planning Indemnity Scheme, Post Abortion Family Planning, Frequently Asked Questions) के अनुसार सेवा प्रदाताओं, MoIC/DS (Camp Manger) एवं प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम/गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन (लोक निजी साझेदारी अन्तर्गत) के साथ Standard Operating Protocols (SOPs) पर चर्चा तथा उन Manuals की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस हेतु पूर्व में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 4401 दिनांक 30.09.2016 एवं पत्रांक 4411 दिनांक 03.10.2016 का संज्ञान लिया जा सकता है।
8. सभी जिलों द्वारा विस्तृत मॉनिटरिंग प्लान विकसित किया जाना है जिसमें कि माह वार भ्रमण करने वाले पदाधिकारियों/सलाहकारों की विवरणी समाहित हो (प्रपत्र संलग्न)। DQAC/DISC के सदस्यों द्वारा Fixed Day Services का 5 प्रतिशत, 2 Static Services एवं 1 प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम का अनुश्रवण तथा संबंधित संस्थान के 10 प्रतिशत लाभार्थियों का Client Exit Interview प्रत्येक माह Standred Quality Assurance Manual में निहित Annexure -6,17 एवं 19 में करना है। उक्त अनुश्रवण के आधार पर आगामी DQAC/DFPISC की बैठक में भ्रमण के दौरान आने वाले मुद्दाओं पर चर्चा करना है एवं 'Minutes of meeting' तथा एक्शन प्लान भी विकसित करना है जिसकी समीक्षा अगले बैठक में किया जाना है।
9. विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार बंध्याकरण/नसबंदी शिविर को अगले तीन साल के भीतर समाप्त करते हुये Fixed Day Services एवं Static Services सेवा नियमित रूप से दिया जाना है। इस हेतु संलग्न Annexure 1 के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के Phase out Plan को लागु करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Delivery Point) में आधारभूत संरचना एवं उपकरणों/उपस्करों से सुसज्जित Operation Theatre (OT) स्थापित करें या उनका जीर्णोधार करें।

   इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 588 दिनांक 27.04.2016 के अनुसार मद संख्या B.4.5.4.1/2 में उपलब्ध राशि से OT जीर्णोद्धार एवं मद संख्या B.16.1.1.3.6 से संबंधित उपकरणों/उपस्करों के क्रय हेतु निदेशित हैं। इसके अतिरिक्त मद संख्या B.16.1.3.1, B.16.1.3.2, B.16.1.3.3, B.16.1.3.1.5, B.16.1.1.2 एवं B.16.2.1.2 से NSV Kit, IUCD Kit, Minilap Kit, PPIUCD

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

Kit, MTP drugs, MVA Kit का क्रय उपलब्ध राशि से वित्तीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार किया जा सकता है।

10. लाभार्थी की बेहतर सुविधा हेतु FMR Code B.12.2.9.1 से बंध्याकरण ऑपरेशन हेतु इच्छुक लाभार्थी को वाहन से Drop Back सेवा उपलब्ध कराई जाय।
11. जिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधित गर्भनिरोधक सामग्रियों की उपलब्धता हरएक स्तर पर हो। इसके लिए उनका उठाव ससमय राज्य भंडार, गुलजारबाग, पटना से परिवार कल्याण कोषांग के निदेशानुसार अत्यन्त जरूरी है। साथ ही उनका सामाजिक विपणन, जो आशाओं के द्वारा किया जाता है, उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि घर–घर तक उनकी उपयोगिता स्थापित हो सके एवं अधिकाधिक आदर्श दम्पतियाँ हो सके।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों के प्रत्येक गतिविधि का ससमय संकलन एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है ।

विश्वासभाजन

14.11.2016

(शशि भूषण कुमार)

अनुलग्नक– यथोक्त।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

Kit, MTP drugs, MVA Kit का क्रय उपलब्ध राशि से वित्तीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार किया जा सकता है।

10. लाभार्थी की बेहतर सुविधा हेतु FMR Code B.12.2.9.1 से बंध्याकरण ऑपरेशन हेतु इच्छुक लाभार्थी को वाहन से Drop Back सेवा उपलब्ध कराई जाय।
11. जिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधित गर्भनिरोधक सामग्रियों की उपलब्धता हरएक स्तर पर हो। इसके लिए उनका उठाव ससमय राज्य भंडार, गुलजारबाग, पटना से परिवार कल्याण कोषांग के निदेशानुसार अत्यन्त जरूरी है। साथ ही उनका सामाजिक विपणन, जो आशाओं के द्वारा किया जाता है, उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि घर–घर तक उनकी उपयोगिता स्थापित हो सके एवं अधिकाधिक आदर्श दम्पतियाँ हो सके।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों के प्रत्येक गतिविधि का ससमय संकलन एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना हैं ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक– यथोक्त।

ह0/–

(शशि भूषण कुमार)

ज्ञापांक सं.:5240.... पटना, दिनांकः 14.11.16

प्रतिलिपिः

– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य , बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
– डा0 एस0 के0 सिकदर, उपायुक्त एवं प्रभारी, परिवार कल्याण प्रभाग, MoHFW, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
– सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा निदेशित है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा करें एवं गुणात्मक पहलुओं को समीक्षात्मक बैठक में समाहित करें।
– अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
– विभागाध्यक्ष (स्त्री एवं प्रसुति विभाग), सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
– सभी ACMO/जिला परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
– राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, QAC कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
– सभी सहयोगी संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.11.2016

अपर सचिव, स्वास्थ्य
सह
कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org